न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./140/2016/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. कंपूसिंह पुत्र भुरसिंह जाति राजपूत निवासी बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम 1.राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर बाड़मेर। 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर। 3.भुरसिंह पुत्र अजीतसिंह का. मु. जोगसिंह पुत्र भुरसिंह ला औलाद जाति राजपूत निवासी बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 475/2003 बअनवान कुंपसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नृसिंह सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 स्वर्गीय भुरसिंह मौजा बांदरा का भूतपूर्व जागरीदार है तथा वादी का पिता है वादी के पिता की खुद काश्त जागीर का एक खेत खसरा संख्या 562 रकबा 34.19 बीघा मौजा बांदरा नवसृजित गांव सांसियों की बस्ती में आया हुआ है तथा उसी के पास अन्य खेत खसरा संख्या 574 रकबा 34.19 बीघा पर वक्त सेटलमेंट से वादी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल से उक्त खसरा राज्य सरकार की सम्पति अंकित कर दिया गया जबकि उक्त खेत के चारों तरफ खातेदारी भूमि है उक्त भूमि को सरकारी भूमि दर्ज करने का कोई आधार प्रतीक नहीं होता है क्योंकि यह भूमि गोचर, ओरण, बिल कब्जा इत्यादि कुछ भी नहीं है वादी का उक्त भूमि पर पैतृक रूप से सेटलमेंट एवं उससे पूर्व से कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य सबूत लेने के पश्चात तनकी वार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिऐ था परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात के संबंध में सिद्ध व असिद्ध के संबंध में न तो कोई साक्ष्य पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
— बाड़मेर —

Scanned by CamScanner

ली गई और न ही अपने निर्णय में तनकी वार विवेचन किया। वादग्रस्त खेत बाबत मोका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वादग्रस्त खेत पर वादी का कब्जा व काश्त होने तथा वादी की ढाणियां, टांके इत्यादि मौके पर होना दर्शाया गया। लेकिन मात्र राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के कारण उक्त भूमि पर वादी अपीलकर्ता को अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त व रहवासी ढाणी, टांका आदि बने हुए है। वादग्रस्त आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट भी मंगवाई गई थी, उस मौका रिपोर्ट में कब्जा काश्त साबित है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य सबूत लेने के पश्चात तनकी वार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिऐ था परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात के संबंध में सिद्ध व असिद्ध के संबंध में न तो कोई साक्ष्य पत्रावली पर ली गई और न ही अपने निर्णय में तनकी वार विवेचन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमा से बाहर जाकर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए विधि के प्रतिकूल निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट/वादी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त साबित नहीं है। मौखिक साक्ष्य ही पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी /अपीलांट अपना वाद साबित नहीं कर पाये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जिसकी सूचना अपीलांट/वादी को नहीं दी गई। अपीलांट की गलत तरीके से उपस्थिति दर्शाते हुए एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 को पारित कर दी गई। हस्तगत प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 16.08.2016 को जानकारी चाही गई तब प्रकरण के 26.05.2016 को निर्णित होना बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय से नकल मांगी गई जो दिनांक 22.11.2016 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील मियाद बाहर है तथा मियाद को कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया गया है। अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय बांदरा में सुनवाई हेतु रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

(Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 475/2003 बअनवान कुंपसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त आब्जर्वेशन के आलोक में अपीलांट/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

25/2/20
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/2/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner